

प्रेषक,

राकेश कुमार तिवारी,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बदायूँ।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,  
बदायूँ।

विषय:-

आग्नेयास्त्र खरीदने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जरिये सर्कुलर नम्बर 11/4-एच-16/एडमिन-(ए) दिनांकित 12.04.2010, यह आदेशित किया गया है कि आग्नेयास्त्र खरीदने के लिए अनुमति के संबंध में माननीय महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन करने के समय ही देना है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा जिलाधिकारी बदायूँ के समक्ष व्यक्तिगत सुरक्षा के उद्देश्य से दिनांक 07.11.2019 को रिवाल्वर/पिस्टल के अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन किया गया है। आवेदन की छाया प्रति संलग्न है।

अतः माननीय महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि जिलाधिकारी बदायूँ द्वारा अनुज्ञाप्ति की स्वीकृति किये जाने की प्रत्याशा के अधीन आग्नेयास्त्र खरीदने की अनुमति हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।  
सादर!

दिनांक 07.11.2019

भवदीय

Rakesh Kumar Tiwari  
(राकेश कुमार तिवारी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बदायूँ।

संलग्नक:

आग्नेयास्त्र की अनुज्ञाप्ति के लिए दिये गये  
प्रार्थना पत्र की छाया प्रति।

Office of the District Judge

BUDAUN

No 6114/2/Budashahd-11-19

RECORDED

Km 9  
DISTRICT JUDGE  
BUDAUN 07.11.19

Fidno.-33631A7B2DA19

(जिला राजस्व बचत द्वारा मुद्रित)  
फारम का नंबर रु. 500/-

क्रमांक ..... 7093 .....

अनुमूल्य-III, भाग-II

आवेदन प्रारूप

प्रारूप क-1 (व्यष्टि के लिए)

प्रारूप-II, III और IV में किसी अग्निआयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्रारूप

(नियम 11 देखें)



626  
649

आवेदक की पहचान

२१ अप्रैल १९८१ ( तिवारी C.I.M.)

श्री अवैश्वर माधव तिवारी

पुरुष  स्त्री

१. नाम	२१ अप्रैल १९८१ ( तिवारी C.I.M.)		
२. अभिभावक/पति/पत्नी का नाम	श्री अवैश्वर माधव तिवारी		
३. लिंग	पुरुष <input checked="" type="checkbox"/> स्त्री <input type="checkbox"/>		
४. जन्म स्थान (जन्म भूमि)	देश	राज्य	जिला
	भारतवर्ष	उत्तर प्रदेश	मुमुक्षु
५. इस्वी सन् में जन्म की तारीख	आवेदन की तारीख को 21 वर्ष का होना जरूरी है		
अंकों में	दिन १०	मास ०४	वर्ष १९८०
शब्दों में	२१ अप्रैल उत्तर प्रदेश में जन्मा-		
६. स्थायी खाता नम्बर (पेन कार्ड नम्बर)	६५५० १५६२ ५३७५		
७. आधार कार्ड संख्या	६५५० १५६२ ५३७५		
८. वर्तमान पता	मुमुक्षु नगर - ज-१४/२ गोपनीय काल्यानी नगर लिल लोड लिल घासान काल्यानी नगर लिल		
	जिला मुमुक्षु	राज्य उत्तर प्रदेश	
(क) वर्तमान पते पर कब से रह रहे हैं	दिन ३	मास	वर्ष
(ख) दूरभाष संख्या	कार्यालय	<input checked="" type="checkbox"/>	निवास <input checked="" type="checkbox"/>
(ग) मोबाइल संख्या	कार्यालय	<input checked="" type="checkbox"/>	निवास
(घ) नजदीकी पुलिस थाना	कार्यालय		निवास
९. स्थायी पता	मुमुक्षु नगर - २८३/१ उत्तर प्रदेश लिल काल्यानी नगर लिल		
	जिला मुमुक्षु	राज्य उत्तर प्रदेश	
(क) नजदीकी पुलिस थाना	मुमुक्षु नगर		
१०. व्यवसाय	उपकारी		
टिप्पणी : नजदीकी पुलिस थाना से वह पुलिस थाना अभिप्रेत है जिसको अधिकारिता में दिया गया पता आता है।			
११. कार्यालय/कारोबार का पता			
१२. अतिरिक्त विशिष्टियां, यदि नियम 35 के अधीन फसल संरक्षण के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है	अवस्थिति (ग्राम) <input checked="" type="checkbox"/> जुताई के अधीन भूमिक्षेत्र <input checked="" type="checkbox"/>		
आवेदक की अन्य विष्टियां			
१३. क्या आवेदक :-			
(क) दोष सिद्ध हुआ है	हां	नहीं	यदि हां तो उसका व्यौरा
		<input checked="" type="checkbox"/>	अपराध
		<input checked="" type="checkbox"/>	दण्डादेश
		<input checked="" type="checkbox"/>	दण्डादेश की तारीख
		<input checked="" type="checkbox"/>	दिन/मास/वर्ष
(ख) शांति और सदाचार बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन बंधपत्र क्रियान्वित होने का आदेश हुआ है	हां	नहीं	यदि हां तो उसका व्यौरा
		<input checked="" type="checkbox"/>	तारीख (दिन/मास/वर्ष)
		<input checked="" type="checkbox"/>	(किस सीमा के लिए उसकी अवधि)
(ग) आयुध या गोला बारूद रखने से आयुध अधिनियम, 1959 या कोई अन्य विधि के अधीन निषेध हुआ है।	हां	नहीं	यदि हां तो उसका व्यौरा
		<input checked="" type="checkbox"/>	तारीख (दिन/मास/वर्ष)
		<input checked="" type="checkbox"/>	(निषेध के लिए अवधि)
१४. क्या			
(क) आवेदक ने अनुज्ञप्ति के लिए पहले आवेदन किया है,- यहां हां, कब से कब तक और उसका परिणाम क्या था।	हां	नहीं	यदि हां तो उसका व्यौरा
		<input checked="" type="checkbox"/>	आवेदन किये जाने की तारीख
		<input checked="" type="checkbox"/>	दिन/मास/वर्ष
		<input checked="" type="checkbox"/>	अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम
		<input checked="" type="checkbox"/>	परिणाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
		<input checked="" type="checkbox"/>	अनुमोदित/अस्वीकृत/लम्बित

(ख) आवेदक का अनुज्ञापित कभी निलम्बित या निरस्त/प्रतिसंहित हुआ था	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
		✓	अनुज्ञापित प्राधिकारी का नाम कारण <u>पुराना विवाह नहीं करने की वजह से</u>
(ग) आवेदक के परिवार का कोई अन्य सदस्य जिसके पास कोई आयुध अनुज्ञापित है, यदि हां तो उसकी विशिष्टियाँ	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
			नाम
			अनुज्ञापित संख्या
			आयुध पृष्ठांकन
		1.	
		2.	
		3.	
(घ) आवेदक के पास आयुध और गोला बारूद रखने की सुरक्षित जगह है।	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
	✓		<u>पुराना घर</u>
(ङ.) आवेदक ने नियम 10 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है (केन्द्रीय सरकार द्वारा जहां कहीं लागू हो)	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
	✓		

### आवेदन किये गये विज्ञप्ति की विविधियाँ

15. अनुज्ञापित के लिए आवश्यकता (टिप्पणी 1 देखें)	<u>जानकारी द्वारा है</u> <u>प्राप्त-प्राप्त</u>		
16. आयुध का विवरण	प्रवर्ग - निर्विधित <u>एन०पी०वे०</u> ( <u>रिकार्ड/प्रिलियर</u> )		
(क) जिसके लिए अनुज्ञापित मांगी गई है	<input checked="" type="checkbox"/>	राइफल <input type="checkbox"/>	शाटगन (बी.एल./एम.एल.) <input type="checkbox"/>
(किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगायें)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> हैंडगन (रिवल्वर/पिस्टल) <input checked="" type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>
(ख) गोला बारूद का विवरण या गोला बारूद संघटक जिसके लिए अनुज्ञापित मांगी गई है।			<u>एन०पी०वे०</u> <u>रिकार्ड/प्रिलियर</u>
17. क्षेत्र के भीतर जिसमें आवेदक ने आयुध को ले जाने की चाह रखी है। (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगायें)		जिला <input type="checkbox"/>	राज्य <input checked="" type="checkbox"/>
18. अनुज्ञापित प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, यदि कोई हो (साक्ष्य संलग्न कीजिए)			पूरे भारत में <input type="checkbox"/>

### अतिरिक्त सूचना

19. प्राप्त IV में अनुज्ञापित के लिए किसी आवेदन का ब्यौरा	
(क) स्थान यौं क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञापित मांगी गई है	<u>समूल उठापु</u>
ख.	

### घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिये गये उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त विधि के सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन मेरी विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दायी होगा।

स्थान : Budhan

तारीख :

Rakesh Kumar Tiwari  
आवेदक के अगृह का निशान/हस्ताक्षर

### टिप्पणी :

- संभाल 15 के समाने, आवेदक को स्पष्ट रूप से उस प्रयोजन का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए अनुज्ञापित अपेक्षित है-जैसे कि (प्राप्त-II, III या IV) आवेदित अनुज्ञापित के प्रवर्ग के अनुसार उपयोग, अर्जन कब्जा, ले जाना, खेल, प्रदर्शन, जंगली जानवरों का नाश जो मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को तुकसान आदि।
- नियम II के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज आवेदक के साथ प्रस्तुत करना है-
  - (क) आवेदक का नवीनतम फोटो की (सफेद पृष्ठभूमि में) चार पासपोर्ट साईज की प्रतियाँ।
  - (ख) जन्म की तारीख का सबूत।
  - (ग) पहचान सबूत - आधार कार्ड या आवेदक के पास आधार कार्ड न होने की दशा में, वैकल्पिक पहचान सबूत जैसे - पासपोर्ट, मतदाता भवचान पत्र, पेन कार्ड या कर्मचारी का। जारी किया हुआ पहचान पत्र के साथ शपथपत्र के रूप में एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा।
  - (घ) निवास सबूत - आवेदक के पास आधार कार्ड या पासपोर्ट न होने की दशा में - (निर्वाचक कार्ड या विद्युत बिल या लैण्डलाइन टेलीफोन बिल या किराया विलेभ या पट्टा विलेख या सम्पत्ति दस्तावेज या अनुज्ञापित प्रधिकारी के समाधान का कोई अन्य दस्तावेज)
  - (इ) प्राप्त घ-1 में अनिन्यायुध अधिनियम प्रमाणपत्र (साधारण या विशेष आदेश पारित द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा जहां कहीं लागू हो)।
  - (ज) प्राप्त घ-2 में वचनबंध अनिन्यायुध के सुरक्षित उपयोग और भण्डारण।
  - (ज) प्राप्त घ-3 में मानसिक स्वस्थ्य और शारिरिक योग्यता के बारे में चिकित्सा प्रमाणपत्र।
  - (झ) जंगली जानवरों के नाश जो कि मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को तुकसान के लिए संरक्षण की दशा में, बन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (को 1953) के अधीन संशोधन प्राधिकारी से अनुज्ञा दी जायेगी।
  - जो प्रविष्टि सम्बन्धित नहीं हैं उसे काट दें।

चेतावनी : आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्राप्त में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दण्ड के लिए उत्तरदायी होगा।

Rakesh Kumar Tiwari  
आवेदक के अगृह का निशान/हस्ताक्षर

क्रमांक ..... २०७३ .....

## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, (शस्त्र अनुभाग) बदायूँ

सं० /आयुध लिपिक  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
बदायूँ

दिनांक .....



श्री ..... रामेश कुमार तिवारी (ए.ए.ए.)  
 पुत्र श्री ..... वर्तमान निवास मनोहर कुमार १७/२ नजदीक काल्पना इकट्ठा  
 थाना ..... काल्पना मार्ग तिवारी तहसील ..... सिटर जिला बदायूँ  
 स्थायी निवास ..... खानपाली - २४३/१ पुराना दल्ली, तिलकगढ़ मलायूर, जिला बदायूँ ने २००५ में  
 लाइसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। थाना शाही दुर्घटना दर्तक पुलिस थाना बदायूँ विभाग  
 कृपया निम्न प्रारूप पर थानाध्यक्ष के माध्यम से जाच कराकर जाच आख्या अपना सस्तुति सहित 30 दिन के अन्दर  
 शस्त्र कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र/  
कृते जिला मजिस्ट्रेट  
बदायूँ

प्रारूप घ-4  
पुलिस रिपोर्ट का मानक प्रारूप

संदर्भ संख्या .....

तारीख .....

सेवा में,

थाना अध्यक्ष

पुलिस थाना

विषय: आयुध अनुज्ञित के लिए आवेदन पर (आवेदक के वर्तमान पते के) नजदीक पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी  
को आयुध अधिनियम, 1939 की धारा 13(2) के अधीन रिपोर्ट।

क्रम सं.	विशिष्टियां	सारांश
1.	आवेदक का नाम/पिता का नाम	
2.	आवेदक का पता	
3.	आवेदन किये गये अनुज्ञित की प्रकृति	

टिप्पणी : आयुध अधिनियम, 1956 की धारा(2) के उपबन्धों के अनुसार, किसी आवेदन के प्राप्त होने पर, अनुज्ञित प्राधिकारी,  
आवेदन पर नजदीक पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी से रिपोर्ट के लिए बुलायेगा और ऐसा अधिकारी विहित समय के  
भीतर उसे रिपोर्ट भेजेगा। तदनुसार, 30 दिनों के भीतर संलग्न प्रारूप में रिपोर्ट भेजी जायेगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
बदायूँ

संलग्न - संलग्नकों के साथ आवेदन प्रारूप (मूल) प्रति।

**पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट**  
**(पुलिस विभाग द्वारा भरा जायेगा)**

1. आवेदक का नाम		
2. पिता/पति-पत्नी का नाम		
3. वर्तमान पता		
वर्तमान पता का नजदीक पुलिस थाना		
4. क्या आवेदक कभी दोषसिद्ध हुआ है ?	हाँ	नहीं
(क) यदि हाँ, अपराध, दंडादेश और दडादेश की तारीख		
(ख) शांति बनाये रखने या सदाचार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 7 के अधीन बंध पत्र के निष्पादन का आदेश किया गया है।	हाँ	नहीं
यदि हाँ, तो कब और उसकी अवधि क्या है ?		
(ग) किसी अपराध या गोलाबारूद उसके पास ले जाने में अर्जन किए जाने से आयुध अधिनियम, 1959 या किसी अन्य विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है।	हाँ	नहीं
यदि हाँ, तो कब और उसकी अवधि क्या है ?		
5. क्या आवेदक का किसी से शत्रुता या झगड़ा है जिसमें शान्ति भंग होने की सम्भावना है ? यदि हाँ, व्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
6. क्या आवेदक का पता और जन्म तारीख का सत्यापन किया गया है ? व्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
7. क्या आवेदक का व्यवसाय/कारोबार का सत्यापन किया गया है ? व्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
8. क्या पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत रजिस्टर्ड है।	हाँ	नहीं
यदि हाँ, तो व्यौरा दीजिए।		
9. क्या आवेदक किसी अपराध में संलिप्त रहा है।	हाँ	नहीं
यदि हाँ, तो व्यौरा दीजिए।		
10. क्या आवेदक किसी अपराध में गिरफ्तार हुआ है।	हाँ	नहीं
यदि हाँ, तो व्यौरा दीजिए।		
11. क्या आवेदक का नाम पुलिस थाने के खराब चरित्र रजिस्टर में सूचिबद्ध है ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, पुलिस थाने के अभिलेख के अनुसार व्यौरा दीजिए।		
12. क्या आवेदक का नाम भारत सरकार के अन्य विभाग जैसे - सीबीआई, स्वापक नियन्त्रण ब्यौरो डीआरआई, प्रवर्तन निदेशालय आदि द्वारा किसी मामले में रजिस्टर्ड किया गया है। जिसमें पुलिस थाने की दैनिक डायरी रजिस्टर, सम्मन, वारण्ट आदि में वर्णित पाया गया है ?		
(यदि हाँ तो व्यौरा दीजिए)		
13. क्या आवेदक ने पुलिस थाने में जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में कोई शिकायत रजिस्टर्ड कराई है ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, तो व्यौरा दीजिए।		
14. किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक संगठन जिसमें आवेदक सदस्य है का व्यौरा		

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक द्वारा जमा किये गये आयुध अनुज्ञित प्रदान करने के लिए आवेदन प्रारूप की विषय-वस्तुओं को चैक कर लिया है।

तारीख :

मोहर

हस्ताक्षर थाना प्रभारी  
 पुलिस थाना

क्रमांक ..... २०९३ .....

## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, (शस्त्र अनुभाग) बदायूँ जिला रायफल क्लब द्वारा मुद्रित

सं० /आयुध लिपिक  
नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ/  
उप जिला मजिस्ट्रेट .....

दिनांक .....



श्री ..... श्री केशव मुमर्ह ठिकारी .....  
 पुत्र श्री ..... अमित श्री केशव मुमर्ह ठिकारी ..... वर्तमान निवास मृठ क्लब बदायूँ जिला बदायूँ समन  
 थाना ..... श्री केशव मुमर्ह ठिकारी ..... तहसील ..... बदायूँ ..... जिला बदायूँ  
 स्थायी निवास ..... भूमि-२४३/१, धूरादलेल, लिलालगड, डाल्लापुर ..... जिला बदायूँ ने एन्ड पीएचएस  
 लाइसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। भूमि-२४३/१, धूरादलेल, लिलालगड, डाल्लापुर टिकल्पना प्रार्थना  
 अतः शस्त्र लाइसेन्स आवेदन पत्र संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि निम्न बिन्दु  
 सं०-१ से ९ तक के सम्बन्ध में बिन्दुबार जाँच कर आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित १५ दिन के अन्दर शस्त्र  
 कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करे।

- 1- क्या प्रार्थी/आवेदक पर कोई मुख्य देय/विधिध देय (बैंक/सरकारी देय) बकाया तो नहीं है।  
(क्षेत्रीय अमीन की आख्या-नाम, हस्ताक्षर दिनांक सहित)
- 2- क्या प्रार्थी/आवेदक ने गाँव सभा/सरकारी भूमि/सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण तो नहीं किया है।  
(क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या-नाम, हस्ताक्षर दिनांक सहित)
- 3- (विरासत के आधार पर) मृत लाइसेंसी के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण-पत्र, वारिसान प्रमाण-पत्र, अन्य वारिसान की सहमति के शपथ-पत्र लाइसेंस की फोटो प्रति तथा शस्त्र जमा करने की रसीद संलग्न की जाये।
- 4- (वृद्ध हस्तान्तरण के आधार पर) अशक्त/वृद्ध लाइसेंसी के सम्बन्ध में लाइसेंस की छायाप्रति एंव प्रार्थी के पक्ष में सहमति का शपथ-पत्र शस्त्र जमा करने की रसीद तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के साक्ष्य में हाई स्कूल परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी बदायूँ द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये।
- 5- आवेदक को शस्त्र लाइसेंस की वास्ताविक आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्ट कथन अंकित किया जाये।
- 6- शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र में इंगित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जाँच कराकर तहसीलदार की स्पष्ट संस्तुति के साथ अपनी टिप्पणी सहित स्पष्ट संस्तुति अंकित की जाये।
- 7- शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखीय साक्ष्यों का भी सत्यापन कर लिया जाये।
- 8- आवेदक के आवेदन पत्र में दर्शाये गये पते का सत्यापन भी कर लिया जाये।
- 9- आवेदक की आयु के साक्ष्य में हाई स्कूल परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी बदायूँ द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये। तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। 21 वर्ष से कम आयु वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी आयुध,  
कृते जिला मजिस्ट्रेट,  
बदायूँ।



आवेदक की पहचान

1. नाम	राकेश कुमार तिलवारी (C.J.M.)		
2. अधिभावक/पति/पत्नी का नाम	राकेश कुमार तिलवारी		
3. लिंग	पुरुष <input checked="" type="checkbox"/>	स्त्री <input type="checkbox"/>	
4. जन्म स्थान (जन्म भूमि)	देश <input checked="" type="checkbox"/>	राज्य <input type="checkbox"/>	जिला <input type="checkbox"/>
5. इस्ती सन् में जन्म की तारीख	आवेदन की तारीख को 21 वर्ष का होना जरूरी है		
अंकों में	दिन १०	मास ०५	वर्ष १९८०
शब्दों में	६८ अप्रैल सन् १९८० (३ वर्ष का जन्म जून से)		
6. स्थायी खाता नम्बर (पेन कार्ड नम्बर)	6750 1562 4374		
7. आधार कार्ड संख्या	मुकान सं.- J- १७/२ ज़िले ज़िले निकट अविलंब		
8. वर्तमान पता	ज़िले लिंगायती	ग्राम लिंगायती	राज्य उत्तर प्रदेश
(क) वर्तमान पते पर कब से रह रहे हैं	दिन	मास	वर्ष
(ख) दूरभाष संख्या	कार्यालय	<input checked="" type="checkbox"/>	निवास <input type="checkbox"/>
(ग) मोबाइल संख्या	कार्यालय	<input checked="" type="checkbox"/>	निवास <input type="checkbox"/>
(घ) नजदीकी पुलिस थाना	कार्यालय	<input checked="" type="checkbox"/>	निवास <input type="checkbox"/>
9. स्थायी पता	५० न०-२४३/१ पुराने लिलकरू अल्लापुर		
	थाना अल्लापुर		
	जिला पश्चिम गोदावरी	राज्य	उत्तर प्रदेश
(क) नजदीकी पुलिस थाना	जारी हात		
10. व्यवसाय	ट्रान्सफर एक्सेप्टर		
टिप्पणी : नजदीकी पुलिस थाना से वह पुलिस थाना अभियेत है जिसको अधिकारिता में दिया गया पता आता है।			
11. कार्यालय/कारोबार का पता			
12. अतिरिक्त विशिष्टियां, यदि नियम 35 के अधीन फसल संरक्षण के लिए अनुज्ञापि अपेक्षित है	अवस्थिति (ग्राम) <input checked="" type="checkbox"/> जुराई के अधीन भूमिक्षेत्र <input checked="" type="checkbox"/>		
आवेदक की अन्य विष्टियां			
13. क्या आवेदक :-			
(क) दोष सिद्ध हुआ है	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	यदि हां तो उसका ब्यौरा अपराध दण्डादेश दण्डादेश की तारीख दिन/मास/वर्ष
(ख) शांति और सदाचार बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन बंधपत्र क्रियान्वित होने का आदेश हुआ है	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	यदि हां तो उसका ब्यौरा तारीख (दिन/मास/वर्ष) (किस सीमा के लिए उसकी अवधि)
(ग) आयुध या गोला बारूद रखने से आयुध अधिनियम, 1959 या कोई अन्य विधि के अधीन निषेध हुआ है।	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	यदि हां तो उसका ब्यौरा तारीख (दिन/मास/वर्ष) (निषेध के लिए अवधि)
14. क्या			
(क) आवेदक ने अनुज्ञापि के लिए पहले आवेदन किया है,- यदि हां, कब से कब तक और उसका परिणाम क्या था।	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	यदि हां तो उसका ब्यौरा आवेदन किये जाने की तारीख दिन/मास/वर्ष अनुज्ञापि प्राधिकारी का नाम परिणाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें) अनुमोदित/अस्वीकृत/लम्बित

हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
<input checked="" type="checkbox"/>		अनुज्ञाप्ति प्राधिकारी का नाम
		कारण <u>प्रबल शर्मा ने जून-2017 में</u>
हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
		नाम
		अनुज्ञाप्ति संख्या
		आयुध पृष्ठांकन
	1.	
	2.	
	3.	

- (ग) आवेदक के पास आयुध और गोला बारूद रखने की सुरक्षित जगह है।  
(ड.) आवेदक ने नियम 10 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है (केन्द्रीय सरकार द्वारा जहां कहीं लागू हो)

#### आवेदन किये गये विज्ञप्ति की विषयाएँ

15. अनुज्ञाप्ति के लिए आवश्यकता (टिप्पणी 1 देखें)	<u>जीवन में अनुज्ञाप्ति की ज़रूरत है</u>		
16. आयुध का विवरण	प्रवर्ग - निर्बंधित <u>रुक्मिणी विवाही/विवाही/विवाही</u>		
(क) जिसके लिए अनुज्ञाप्ति मांगी गई है (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगायें)	राइफल <input checked="" type="checkbox"/> , शाटगन (बी.एल./एम.एल.) <input type="checkbox"/>	हैण्डगन (रिवलर/पिस्टल) <input checked="" type="checkbox"/>	अन्य <input type="checkbox"/>
(ख) गोला बारूद का विवरण या गोला बारूद संघटक जिसके लिए अनुज्ञाप्ति मांगी गई है।	<u>रुक्मिणी विवाही/विवाही/विवाही</u>		
17. क्षेत्र के भीतर जिसमें आवेदक ने आयुध को ले जाने की चाह रखी है। (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगायें।)	जिला <input checked="" type="checkbox"/>	राज्य <input checked="" type="checkbox"/>	पूरे भारत में <input type="checkbox"/>
18. अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, यदि कोई हो (साक्ष्य संलग्न कीजिए)			

#### अतिरिक्त सूचना

19. प्रारूप IV में अनुज्ञाप्ति के लिए किसी आवेदन का ब्यौरा	<u>रुक्मिणी विवाही</u>
(क) स्थान या क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञाप्ति मांगी गई है	<u>रुक्मिणी विवाही</u>
ख.	

#### घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिये गये उपरोक्त विविधियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे जात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त विधि के सम्बन्धित उपबन्धों के आधीन मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दायरी होगी।

स्थान : Bleeding

तारीख :

Rakesh Kumar Tiwari  
आवेदक के अंगूठ का निशान/हस्ताक्षर

#### टिप्पणी :

- स्तंभ 15 के समाने, आवेदक को स्पष्ट रूप से उस प्रयोजन का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए अनुज्ञाप्ति अपेक्षित है-जैसे कि (प्रारूप-II, III या IV) आवेदित अनुज्ञाप्ति के प्रवर्ती के अनुसार उपयोग, अर्जन कब्जा, ले जाना, खेल, प्रदर्शन, जंगली जानवरों का नाश जो मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को नुकसान आदि।
- नियम II के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज आवेदक के साथ प्रस्तुत करना है-
  - (क) आवेदक का नवीनतम फोटो की (सफेद पृष्ठभूमि में) चार पासपोर्ट साईज की प्रतियां।
  - (ख) जन्म की तारीख का सबूत।
  - (ग) पहचान सबूत - आधार कार्ड या आवेदक के पास आधार कार्ड न होने की दशा में, वैकल्पिक पहचान सबूत जैसे - पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड या कर्मचारी की जारी किया हुआ पहचान पत्र के साथ शपथपत्र के रूप में एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा।
  - (घ) निवास सबूत - आवेदक के पास आधार कार्ड या पासपोर्ट न होने की दशा में - (निर्वाचक कार्ड या प्रवृत्त बिल या लैण्डलाइन टेलीफोन बिल या किराया विलेख या पट्टा विलेख या सम्पत्ति दस्तावेज या अनुज्ञाप्ति प्राधिकारी के समाधान का कोई अन्य दस्तावेज)।
  - (ङ) प्रारूप घ-1  अग्निआयुध प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (साधारण या विशेष आदेश पारित द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा जहां कहीं लागू हो)।
  - (च) प्रारूप घ-2में वचनबंध अग्निआयुध के सुक्षित उपयोग और भण्डारण।
  - (छ) नियम 12 के उपनियम (3) के खण्ड (क) में यथाविनिर्दिष्ट वृत्तिक प्रवर्ग प्रवर्ग आवेदकों से शैक्षिक और वृत्तिक अर्हता प्रमाणपत्रों की स्वयं-अनुप्रमाणित प्रतियां।
  - (ज) प्रारूप घ-3 में मानसिक स्वस्थ्य और शारिक योग्यता के बारे में चिकित्सा प्रमाणपत्र।
  - (झ) जंगली जानवरों के नाश जो कि मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को नुकसान के लिए संरक्षण की दशा में, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन संरक्षण प्राधिकारी से अनुज्ञा दी जायेगी।
- जो प्रविष्टियां सम्बन्धित नहीं हैं उसे काट दें।

चेतावनी : आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्रारूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दण्ड के लिए उत्तरदायी होगा।

Rakesh Kumar Tiwari  
आवेदक के अंगूठ का निशान/हस्ताक्षर

(नियम 11 देखें)

आवेदक को पहचान

२०८८ श्रीमती लिला ही



1. नाम	२०८८ श्रीमती लिला ही		
2. अधिभावक/पति/पत्नी का नाम	२०८८ श्रीमती लिला ही		
3. लिंग	पुरुष	देश	राज्य
4. जन्म स्थान (जन्म भूमि)	२१२३ वर्ष	३५५०	जिला
5. इस्की समूह में जन्म की तारीख	आवेदन की तारीख को २१ वर्ष का होना चाहती है	दिन	वर्ष
अंकों में	२१२३	०५	१९४०
शब्दों में	२१२३	०५	१९४०
6. स्थायी छाता नाम्बर (पेंस कोड नम्बर)	६४५८	१५६२	४३७५
7. आधार कार्ड संख्या	२०८८ श्रीमती लिला ही	२०८८ श्रीमती लिला ही	२०८८ श्रीमती लिला ही
8. वर्तमान पता	२०८८ श्रीमती लिला ही	२०८८ श्रीमती लिला ही	२०८८ श्रीमती लिला ही
(क) वर्तमान पते पर कब से रह रहे हैं	दिन	मास	वर्ष
(ख) दूरभाष संख्या	कार्यालय	५	निवास
(ग) मोबाइल संख्या	कार्यालय	५	निवास
(घ) नजदीकी पुलिस थाना	कार्यालय	५	निवास
9. स्थायी पता	२०८८ श्रीमती लिला ही	२०८८ श्रीमती लिला ही	२०८८ श्रीमती लिला ही
(क) नजदीकी पुलिस थाना	जिला	राज्य	वर्ष
10. व्यवसाय	२०८८ श्रीमती लिला ही	२०८८ श्रीमती लिला ही	२०८८ श्रीमती लिला ही
टिप्पणी : नजदीकी पुलिस थाना से वह पुलिस थाना अधिप्रेत है जिसको अधिकारिता में दिया गया पता आता है।			
11. कार्यालय/कारोबार का पता			
12. अतिक्रम निशिष्टियां, यदि नियम 35 के अधीन अतिक्रम नियम 35 के अधीन फसल संरक्षण के लिए अनुशासि अपेक्षित हैं जुताई के अधीन भूमिक्षेत्र			
13. क्या आवेदक :-			
(क) दोष सिद्ध हुआ है	हाँ	नहीं	यदि हाँ तो उसका व्यौरा
			अपराध
			दण्डदेश
			दण्डदेश की तारीख
(ख) शांति और सदाचार बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अन्याय 8 के अधीन बंधपत्र क्रियान्वित होने का आदेश हुआ है	हाँ	नहीं	यदि हाँ तो उसका व्यौरा
(ग) आयुध या गोला बालू रखने से आयुध अधिनियम, 1959 गोले कोई अन्य निषेध के अधीन निषेध हुआ है।	हाँ	नहीं	यदि हाँ तो उसका व्यौरा
14. क्या			
(क) आवेदक ने अनुशासि के लिए पहले आवेदन किया है-	हाँ	नहीं	यदि हाँ तो उसका व्यौरा
यदि हाँ, कब से कब तक और उसका पारिणाम क्या था।			आवेदन किये जाने की तारीख
			दिन/मास/वर्ष
			(किस सीमा के लिए उसकी अवधि)
			तारीख (दिन/मास/वर्ष)
			(निषेध के लिए अवधि)

(ख) आवेदक का अनुज्ञित कभी निलम्बित या निरस्त/प्रतिसंहित हुआ था	हां	नहीं	यदि हां तो उसका व्यौरा
			अनुज्ञित प्राधिकारी का नाम
(ग) आवेदक के परिवार का कोई अन्य सदस्य जिसके पास कोई आयुध अनुज्ञित है, यदि हां तो उसकी विशिष्टियां	हां	नहीं	यदि हां तो उसका व्यौरा
			नाम
			अनुज्ञित संख्या
			आयुध पृष्ठांकन
			1.
			2.
			3.
(घ) आवेदक के पास आयुध और गोला बारूद रखने की सुरक्षित जगह है।	हां	नहीं	यदि हां तो उसका व्यौरा
(ङ.) आवेदक ने नियम 10 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है (केन्द्रीय सरकार द्वारा जहां कहीं लागू हो)	हां	नहीं	यदि हां तो उसका व्यौरा

#### आवेदन किये गये विज्ञप्ति की विषिट्यां

15. अनुज्ञित के लिए आवश्यकता (टिप्पणी 1 देखें)	जानकारी की लिखा है	प्राप्त
16. आयुध का विवरण	प्रवर्ग - निर्बंधित	प्राप्त
(क) जिसके लिए अनुज्ञित मांगी गई है (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगायें)	राइफल <input checked="" type="checkbox"/> , शाटगन (बी.एल./एम.एल.) हैंडगन (रिवाल्वर/पिस्टल)	<input checked="" type="checkbox"/> अन्य
(ख) गोला बारूद का विवरण या गोला बारूद संघटक जिसके लिए अनुज्ञित मांगी गई है।	रानधीर के रिवाल्वर	प्राप्त
17. क्षेत्र के भीतर जिसमें आवेदक ने आयुध को ले जाने की चाह रखी है। (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगायें।)	जिला <input checked="" type="checkbox"/>	राज्य <input checked="" type="checkbox"/> पूरे भारत में <input checked="" type="checkbox"/>
18. अनुज्ञित प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, यदि कोई हो (साध्य संलग्न कीजिए)		

#### अतिरिक्त सूचना

19. प्राप्त IV में अनुज्ञित के लिए किसी आवेदन का व्यौरा	
(क) स्थान या क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञित मांगी गई है	भूमि उड़प
ख.	

#### घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिये गये उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे जात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त विधि के सम्बन्धित उपबन्धों के आधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाही करने के लिए दायी होगा।

स्थान : *Budhan*  
तारीख :

*Rakesh Kumar Tiwari*  
आवेदक के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर

#### टिप्पणी :

- संभाल 15 के सामने, आवेदक को स्पष्ट रूप से उस प्रयोजन का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए अनुज्ञित अपेक्षित है-जैसे कि (प्राप्त-II, III या IV) आवेदित अनुज्ञित के प्रवर्ग के अनुसार उपयोग, अर्जन कब्जा, ले जाना, खेल, प्रदर्शन, जंगली जानवरों का नाश जो मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को नुकसान आदि।
- नियम II के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज आवेदक के साथ प्रस्तुत करना है-
  - आवेदक का नवीनतम फोटो की (सफेद पृष्ठभूमि में) चार पासपोर्ट साईज की प्रतियां।
  - जन्म की तस्वीर का सबूत।
  - पहचान सबूत - आधार कार्ड या आवेदक के पास आधार कार्ड न होने की दशा में, वैकल्पिक पहचान सबूत जैसे - पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड या कर्मचारी को जारी किया हुआ पहचान पत्र के साथ शपथपत्र के रूप में एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा।
  - निवास सबूत - आवेदक के पास आधार कार्ड या पासपोर्ट न होने की दशा में - (निवाचक कार्ड या विद्युत बिल या लैंडलाइन टेलीफोन बिल या किराया विलेख या पट्टा विलेख या सम्पत्ति दस्तावेज या अनुज्ञित प्राधिकारी के समाधान का कोई अन्य दस्तावेज)
  - प्राप्त सभ-1 में अग्निआयुध प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (साधारण या विशेष अदेश पारित द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा जहां कहीं लागू हो)।
  - प्राप्त सभ-2वें वचनबंध अग्निआयुध के सुरक्षित उपयोग और भण्डारण।
  - नियम 12 के उपनियम (3) के खण्ड (क) में यथाविनिर्दिष्ट वृत्तिक प्रवर्ग आवेदकों से शैक्षिक और वृत्तिक अर्हता प्रमाणपत्रों की स्वयं-अनुप्रमाणित प्रतियां।
  - नियम 12 के उपनियम (3) के खण्ड (क) में यथाविनिर्दिष्ट वृत्तिक प्रवर्ग आवेदकों से शैक्षिक और वृत्तिक अर्हता प्रमाणपत्रों की स्वयं-अनुप्रमाणित प्रतियां।
  - जंगली जानवरों के नाश जो कि मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को नुकसान के लिए संरक्षण की दशा में, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन संशोधन प्राधिकारी से अनुज्ञा दी जायेगी।
  - जो प्रविश्टियां सम्बन्धित नहीं हैं उसे काट दें।

चेतावनी : आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्राप्त में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दण्ड के लिए उत्तरदायी होगा।

*Rakesh Kumar Tiwari*  
आवेदक के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर

प्रारूप घ-2

अग्निआयुध के सुरक्षित भंडारण के लिए वचनबद्ध का मानक प्रारूप  
(नियम 10 (4) देखें)

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,  
बदायूँ

वचनबन्ध

यह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि :-

1.	मैं, नये आयुध अनुज्ञाप्ति/आयुध अनुरूपि नवीनीकरण के प्रदान के लिए आवेदन करता हूँ (सं. .... और मेरा यू.आई.एन. .... है)
2.	मैं वचन देता हूँ (गिनी हुई स्थिति में) जब मैं अपने साथ आयुधों को नहीं ले जा रहा हूँ। अग्नि आयुध के सुरक्षित भण्डारण व्यवहार करूँगा।
3.	मैं वचन देता हूँ कि आयुधों और गोला बारूद के साथ सम्पर्क होने के खतरे के बारे में बच्चों को शिक्षित करूँगा।
4.	मेरे पास अग्नि आयुध को सेफ या इस्पात अलमारी में सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से रखने की भण्डारण क्षमता है जिससे यह जोखिम कम किया जा सके कि इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुराया जा सकता है या इस तक उस व्यक्ति की पहुँच हो सकती है।

यह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपरोक्त घोषणा में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सही है और यदि, किसी पचात्वर्ती तारीख पर, यदि कोई उक्त घोषणा झूठी और असत्य पाई जाती है तो मैं, उसके लिए जिसके अन्तर्गत मेरे अनुज्ञाप्ति के रद्दकरण या प्रतिसंहरण भी है तथा आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन शास्ति उपबंधों के अध्याधीन उत्तरदायी होउंगा।

तारीख :

स्थान : *Budawn*

टिप्पणी : क्रम सं. 4 पर यथावर्णित सुरक्षित भंडारण का सबूत संलग्न करें।

*Rakesh Kumar Tiwari*  
(आवेदक/अनुज्ञाप्तधारा का हस्ताक्षर)

भारतीय रौसन्याधिक



दस  
रुपये

₹.10

Rs.10

सरकार द्वारा

INDIA

INDIA NON JUDICIAL



इण्डिया

1 NOV 2019  
03AE 135156

माना:- ६ फ्रान जिला नंजिप्रेट मदोदग, जनपद- डकारे।

उपर उपर औरि तारा- राष्ट्रीय कुमार तिवारी पुडो आधेशा परि तिवारी नि  
मा नं- २८३/। पुरा बोल, तिवारी अल्लापुर गांव जन्मा उसे, जनपद प्रथागरामे ३०५०  
बत्तमान पाता-माने-जे- ३४/२ जेजे जातीने मिळालिचिन बार छलिंग थाना  
कोत्तालो जनपद नियात्य के प्राप्तने, बदायुं।

मेरा इनक लक्ष्य आमे एवं ई-रान भे ल-कृत है ये:-

१. यह दि ऐरा उच्चतमि १०-०५-१९८० ई है। जिसे अुआर मेरो आयु वर्ष है
२. यह दि मे आयदर का करदाता है। और करदाता ने खेते पे भरत है। मेरी  
उपजाँ चिना का नाम- दयागिक भेता है।
३. यह दि द्वेष किये रखाँ उच्चतमि गांव ते दि दोनों जाति परि द्वेष  
एवं द्वेष सदी किया है और न रु द्वेष वे दोनों जाति है।
४. यह दि भ्रेवे व मेरे परिवार के किसीकी सद्व्य के विहार आज तक किसी नो  
शरने पे जाई भा। अपराध पंजाकूत नहीं हुए है।
- ५- यह दि भ्रेरे व मेरे परिवार के किसी भी सद्व्य के विहार जान तक किसी भी  
शरादालय पे अपराध द्वित वाद न हो पैसीकूत है और न हो विवराध है।
- ६- यह दि भ्रेरे ऊपर कोई भी गरहारी देख बायो नहीं है।
- ७- यह दि इसे घूर्व भ्रेरे वाप कोई भी इक लाइफे-निर्वत नहीं किया गए है।
- ८- यह दि इक लाइफे-प्राप्त भरने हेतु अविक्ष पड़ मेरो भी कुनाईं व विनरप  
भ्रेरे वाप उपर दिये के हैं वह भेरो जन्माराम दि देवराम के अुगर महों  
सिये है। उको गोई ना तर निपाठ नहा गयो है।

Rakesh Kumar Tiwari

उपरोक्त राष्ट्रीय विवरण भेरे निजा हान भे य है ईक्षर देरो आपत्ता है।

भारतीय नौसन्धानिक



दस  
रुपये

₹.10

भारत

RUPEES

INDIA

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

1 NOV 2019

शपथ-पत्र

03AE 135155

समझो:- श्रीमान रामेश प्रतिपाद्याचार्य मर्दोक्षण, अन्तर्राज्यीय।

शपथपत्र आंकित हारा- रामेश कुमार त्वारी पुत्र श्री अवधेश मणि त्वारी नि  
म० नै- 283/। पुरा दलेल, तिळकनगर अल्लापुर धाना जार्जिटाउन, जनपद पुण्यगराज। ३०५०  
वर्तमान पता- ३० नै- ३३१/। जेजे कालीनी निकट सिविल वार बिल्डिंग धाना  
कोत्वाली जनपद न्यायालय के सामने, बदायुँ।

मैं निम्न कठन अपने इर्दम ईमान से सब कहता हूँ कि:-

१. यह कि मेरी जन्मतिथि- १०-०४-१९८० है। जिसके अनुसार मेरी आयु वर्ष है।
२. यह कि मैं आयकर का करदाता हूँ। और करदाता की ब्रेजी में आता हूँ। मेरी  
उपजीविका का साधन- न्यायिक सेवा है।
३. यह कि मैंने किसी सरकारी सम्पत्ति अधिकार ग्राम समाज की कमि आदि पर अैच्छिक  
कानून नहीं किया है और न इस संबंध में कोई वाद लम्बित है।
४. यह कि मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आज तक किसी भी  
न्यायालय में आपराधिक वाद न तो पंजीकृत है और न ही विवाराधीन है।
५. यह कि मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आज तक किसी भी  
न्यायालय में आपराधिक वाद न तो पंजीकृत है और न ही विवाराधीन है।
६. यह कि मेरे ऊपर कोई भी सरकारी देय बकाया नहीं है।
७. यह कि इसमें पूर्व मेरे नाम कोई भी शास्त्र लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है।
८. यह कि शास्त्र लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र में जो भी सूचनाएँ व विवरण  
मेरे हारा आंकित किये गये हैं वह मेरी जानकारी व विवास के अनुसार सही व  
सत्य हैं। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

Rakesh Kumar Tiwari

उपरोक्त शपथपत्र का विवरण मेरे निजी ज्ञान से सब है इश्वर मेरी सहायता करें।

प्रारूप घ-3

चिकित्सा प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप

(नियम 11 के उप-नियम (4) के खंड (छ) देखें)

(चिकित्सा व्यवसायी के लैटर हैड पर)



यह प्रमाणित किया जाता है, कि मैंने व्यक्ति का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं :-

1. परीक्षण किये गये व्यक्ति का नाम ..... रमेश कुमार तिवारी
  2. पिता/पति/पत्नी का नाम ..... श्री अमरपाल गणि तिवारी
  3. निवास स्थान का पता ..... ममता नं०-J-IV/2 पर्वपत्र नगरी किलोमीटर बाए बिहार असा कलापानी  
भगवान नामालय के सामने, बालू
  4. आयु और जन्म तारीख ..... 39 वर्ष, 10.04.80
  5. ऊँचाई ..... 175 cm
  6. वजन (किलोग्राम में) ..... 75 kg
  7. रक्तचाप (कृपया विर्णिदिष्ट करें) ..... 120/88
  8. विरूपण, यदि कोई हो ..... एक  
(ऊपरी हाथ पैरों में विशिष्ट तौर पर)
  9. कोई अन्य अवलोकन ..... 40  
परीक्षण के आधार पर, यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त स्तम्भ में यथावर्णित परीक्षित व्यक्ति :-
1. का अच्छा स्वास्थ्य है और किसी भौतिक विरूपण से मुक्त है;
  2. की मानसिक स्थिति स्थिर पाई गई है और उग्रता प्रवृत्त नहीं है;
  3. का मदोन्मत या स्वापक पदार्थ के प्रभाव के किसी तत्व पर निर्भर नहीं पाया गया है।

स्तम्भ (1) में नामित परीक्षित व्यक्ति के हस्ताक्षर

चिकित्सा व्यवसायी के हस्ताक्षर

*Rakesh Kumar Tiwari*

*B.M.*  
Chief Medical Superintendent  
District Hospital, Buraun

रजिस्ट्रीकरण संख्या

(मोहर)

## प्रारूप घ-1

प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप

(नियम 10 (1) देखें)

मेवा में,

जिला मार्जिस्टर,

बदायूँ

ल-प्र।  
6858

### प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है, कि उस व्यक्ति की विशिष्टियां जो नीचे दी गई हैं ने आयुध नियम, 2016 के नियम

10(1) के अधीन यथानियत प्रशिक्षण को पूरा किया है :-

1. व्यक्ति का नाम	रमेश कुमार तिवारी
2. पिता/पति/पत्नी का नाम	श्री अमरेश भगत तिवारी
3. निवास स्थान पता	गल्म नौ-उत्तरा 2 लकड़ भालोनी बिहार प्रिवेट एवं प्राप्ति-भवानी एवं नाशिक बाजार बिहार
4. आयु और जन्म की तारीख	10. 04. 80
5. प्रशिक्षण लिए जाने वाली आवाधि	प्रतिवार
6. प्रदान किये गये उस प्रशिक्षण के लिए अग्रिम आयुधों के बीचे (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	05. 11. 19 से 06. 11. 19 तक
7. प्रशिक्षण का प्रयोजन (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. हैंडगन <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>2. राइफल <input type="checkbox"/></li> <li>3. शाटागन <input type="checkbox"/></li> <li>4. वायु आयुध <input type="checkbox"/></li> </ul>
(क) बुनियादी आयुध और गोला बालू द सुरक्षात्मक चलन जिसके अन्तर्गत मुरक्का, रख-रखाव और प्रक्रियाओं का करना भी सम्मिलित है:- २५०० रुपी रुपासान्ध भा.नकारा।	1. आयुध अनुशन्ति के लिए आवेदन <input type="checkbox"/>
(ख) गोलाबारी तकनीकें और प्रक्रियायें।	2. आयुध ब्यौहारी के साथ नियोजन <input type="checkbox"/>
(ग) आयुधों और गोलाबालू की रखनाली	3. विनिर्माता के साथ नियोजन <input type="checkbox"/>
(घ) आयुधों और गोलाबालू का सुरक्षित भण्डारण और परिवहन <input type="checkbox"/>	4. अन्य <input type="checkbox"/>

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें निम्नलिखित मापदण्ड है :-

- (क) बुनियादी आयुध और गोला बालू द सुरक्षात्मक चलन जिसके अन्तर्गत मुरक्का, रख-रखाव और प्रक्रियाओं का करना भी सम्मिलित है:- २५०० रुपी रुपासान्ध भा.नकारा।
- (ख) गोलाबारी तकनीकें और प्रक्रियायें।
- (ग) आयुधों और गोलाबालू की रखनाली
- (घ) आयुधों और गोलाबालू का सुरक्षित भण्डारण और परिवहन

उपरोक्त नामित व्यक्ति की आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 उनमें सम्बन्धित महत्वपूर्ण उपबन्धों का युक्तियुक्त आर्य साधक ज्ञान प्रदान किया गया था और आयुध स्वामी या प्रयोगकर्ता बलाकों के सम्बन्ध में विशिष्ट तौर पर उत्तरदायकता समझाया गया था।

तारीख : ०६. ११. १७

स्थान : पुरुषोवदार

विवर पुलिस ताइन  
बदायूँ

प्रमाणित होने वाली संदर्भ संस्था का

पुलिस ताइन

बदायूँ